...अन्त में

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, सार्वजनिक बवाल, महिला आंदोलन व मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं के दबाव व खाप के बढ़ते स्वाग्रह ने सरकार पर जैसा कि अन्य मामलों में होता रहा है- मौजूदा कानून को लागू करने के एवज में एक नया कानून बनाने के लिए दबाव डाला है। गृह मंत्रालय ने एक ऐसे कानून का प्रारूप तैयार किया है जो कत्ल की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए खाप-अधिदेश सम्मान जनित हत्याओं को एक विशिष्ठ अपराध मानकर इस निर्णय में शामिल सभी पक्षों को मृत्युदंड की सज़ा का अधिकारी मानता है। अन्य सुझावों में बगावत करके शादी करने वाले जोड़ों के लिए कानूनी विवाह के ज़रूरी नियम-तीस दिन का अग्रिम नोटिस को हटाने का भी प्रस्ताव है।

इस ड्राफ़्ट कानून की संवेदनशीलता तथा सत्तारूढ़ सरकार के बीच आपसी मतभेदों को देखते हुए इस बात की संभावना कम ही लगती है कि सरकार इस कानून को तुरंत ही पारित करने का साहस दिखायेगी। फिलहाल तो इस प्रारूप को मंत्रीमंडल और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के लिए भेज दिया गया है।

पर इ़ज़्ज़त के नाम पर होने वाली इन हत्याओं से जूझने के लिए कानून के साथ-साथ कुछ अन्य कदम भी उठाने होंगे। यह अपराध समुदाय के सहयोग और कार्यान्वयन से अंजाम दिया जाता है- और इसका खात्मा भी तभी होगा जब समुदाय इसका विरोध करेगा।

हम नारीवादी केवल अदालतों और टीवी स्टूडियो में खाप से विवाद करके संतुष्ट नहीं रह सकतीं। हमें खाप द्वारा अनुमोदित और उनके नियंत्रण को मानने वाले लोगों के विचारों और मान्यताओं को चुनौती देनी होगी। हमें सम्मान के विमर्श से अधिक सशक्त प्रतिकारक-विमर्श तैयार करना होगा।

हमें यह समझने की गलती नहीं करनी चाहिए कि खाप के सहयोगी केवल 'अशिक्षित' व 'देहाती' लोग ही हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनी में कार्यरत एक वरिष्ठ प्रशासक ने खाप का विरोध करने वाली महिला नेताओं की प्रतिक्रिया के जवाब में अपनी वेबसाइट पर लिखा है- *'खाप उत्तर भारत की सबसे पुरानी परम्परा है। सगोत्र विवाहों पर प्रतिबंध विज्ञान द्वारा साबित किया जा चुका है तथा इसी के नतीजतन हम दक्षिण की मिश्रित नस्लों से अलग जाट जैसी 'शुद्ध' नस्ल प्राप्त हुई है।'* इस तरह के विचारों से हमें चाहे जितनी भी विरक्ति या मायूसी हो फिर भी हम

इस विचारधारा वाले लोगों का बहिष्कार नहीं कर सकते- हमें इनके साथ बातचीत करके इन्हें सहमत करना होगा जिससे ये हमारे साथ मिलकर खाप और उनके कठोर साम्राज्य का खात्मा कर सकें।

देश के हर भाग में स्त्री व पुरुष, लड़के व लड़कियां खाप व उनके फतवों को चुनौती देकर, समानता व सम्मान, चयन व मौकों के वैकल्पिक जीवन की तलाश में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उन्हें हमारा सहयोग चाहिए- उन्हें खाप द्वारा उद्धृत झूठे विज्ञान के प्रत्युत्तर में जवाबी विज्ञानी तर्क चाहिए। उन्हें हिंसा के इस विस्फोट के मूल में छिपी सामाजिक व आर्थिक प्रतिक्रियाओं को उजागर करने के लिए सबूत व विश्लेषण चाहिए। वे हिंसा व दमन आधारित पुरुषत्व व मर्दानगी के निर्माण को चुनौती देने के तरीके ढूंढ रहे हैं- जिससे जन्म पूर्व भ्रूण हिंसा से शुरू होकर सम्मान जनित हत्याओं पर जाकर खत्म होने वाले हिंसा के कुचक्र को तोड़ा जा सके।

हमें उम्मीद है कि इस अंक में शामिल किए गये लेख हमारे पाठकों व उनके माध्यम से तमाम अन्य लोगों को कुछ ऐसे विचार प्रदान करेंगे जो उस 'परम्परा' और 'संस्कृति' को सशक्त चुनौती देने में सक्षम होंगे जिसमें सम्मान के नाम पर होने वाली हत्याओं को अनदेखा किया जाता है। साथ ही यह हमें सम्मान जनित हत्याओं के प्रत्युत्तर में समानता, न्याय व अहिंसा पर आधारित एक प्रबल व विश्वसनीय प्रतिकारक-विमर्श तैयार करने में भी सहायक होगा।

कल्याणी मेनन-सेन